समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी-3225/2018/जबलपुर/भू.र.

प्रकरण कमांक जिला – जबलपुर

श्रीलाल मरकाम पुत्र श्री धनीराम मरकाम
जति गौंड (आदिवासी)
निवासी देवरी चरगवां
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ----- आवेदक

श्री सुनील सिंह द्वारा आज दि. 28-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-5-18 नियत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– श्री हेमंत साखरदाण्डे
पुत्र श्री गणपति शांताराम शाखर दाण्डे
निवासी मकान नं0 488, टैलीग्राम के पास,
गेट नं0 4, जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जबलपुर -----अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्र0 कं0 0733/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 25–5–18 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अवैध, अनुचित एव विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि आवेदक के भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम कल्याणपुर प0ह0नं0 19 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर में खसरा नं0 224 एवं 231 रकबा कमशः 1.830 एवं 1.340 हैक्टर कुल रकबा 3.170 स्थित है ! इस भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास अन्य ग्राम देवरी तहसील

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3224/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 0733/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 25-5-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कल्याणपुर प0ह0नं0 19 रा0नि0म0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 224, 231 रकबा 1.930 एवं 1.340 हैक्टर भूमि को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई परंतु आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दिनांक 21-2-17 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर को गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह वैधानिक बिंदु उठाया गया है कि संहिता की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है बल्कि उन्हें स्वयं प्रकरण	

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	का निराकरण करना चाहिए था । आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिया गया उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य है क्योंकि संहिता की धारा 49 में वर्ष 2011 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी को प्रकरण को अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है और यह प्रावधान किया गया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य इत्यादि लेकर प्रकरण का निराकरण अंतिम रूप से किया जायेगा । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अत: न्यायहित में इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है और विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास 3.330 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके स्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अत: दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम कल्याणपुर प0ह0नं0 19 रा0नि0म0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 224 रकबा 1.330 हैक्टर	

श्रीलाल मरकाम विरूद्ध श्री हेमंत शाखर दाण्डे एवं अन्य

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3224/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं खसरा नं0 231 रकबा 1.340 हैक्टर कुल रकबा 3.17 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक 1 विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	